न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

कृष्णा जी तनय स्व0 श्री राजाराम तिवारी निवासी ग्राम डभौरा तहसील त्योथर जिला रीवा म0प्र0 हाल निवासी पी.टी.एस. चौराहा रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ....निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1. पियूषकान्त त्रिपाठी तनय श्री धर्मराज त्रिपाठी
2. ~~धर्मराज त्रिपाठी तनय स्व0 श्री राजाराम~~ तिवारी (फौत) वारिसान
   i. ~~इन्द्रा त्रिपाठी पत्नी स्व. धर्मराज त्रिपाठी~~
   ii. सुनीता पुत्री स्व. श्री धर्मराज त्रिपाठी
   iii. प्रदीप कुमार उर्फ कल्लू तनय स्व. धर्मराज त्रिपाठी
3. राकेशचन्द्र तिवारी तनय स्व0 श्री सुदामा प्रसाद तिवारी
4. सुरेशचन्द्र तिवारी तनय स्व0 श्री सुदामा प्रसाद तिवारी
5. दिनेशचन्द्र तिवारी तनय स्व0 श्री सुदामा प्रसाद तिवारी
6. महेशचन्द्र तिवारी तनय स्व0 श्री सुदामा प्रसाद तिवारी
   सभी निवासी ग्राम डभौरा तहसील त्योथर जिला रीवा (म0प्र0)
7. मायादेवी पुत्री स्व0 श्री सुदामा प्रसाद तिवारी निवासी बांसघाट रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
8. श्रीमती सत्यवती बेवा पत्नी स्व0 श्री सुदामा प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम डभौरा तहसील त्योथर जिला रीवा (म0प्र0)

...............गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्योथर वर्तमान तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

जरिए प्रकरण क्रमांक 170/अ–6/अपील/2011–12
आदेश दिनांक 25.01.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

(क)– यह कि निगरानीकर्ता के पिता राजाराम तिवारी थे जिनके तीन पुत्र सुदामा प्रसाद, निगरानीकर्ता कृष्णा जी एवं गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 2 धर्मराज तथा दो पुत्रिया भवानी, लीला थी। जिसमें सुदामा की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिस गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 3 ता 8 है। राजाराम एवं उनके तीनो **पुत्रो का संयुक्त हिन्दू मिताक्षरा परिवार था तथा** इस संयुक्त **परिवार की भूमियां ग्राम हन्ना उत्तर प्रदेश एवं डभौरा** में स्थिति **थी**, जिनके मध्य आपसी हिस्साबांट सन् 1965–70 के बीच मौखिक रूप से हुआ जिसका कोई लेख नही बनाया गया। उस आपसी हिस्सा बांट में पिता राजाराम को ग्राम हन्ना एवं डभौरा में स्थित विवादित भूमियां आपसी हिस्साबांट में प्राप्त हुई तथा उनके पुत्रो को अन्य भूमियां हिस्सा में प्राप्त हुई तथा बाद बटवारा सभी हिस्सेदार अपने–अपने हिस्से में प्राप्त भूमियों में बतौर मालिक भूमि स्वामी के काबिज होकर अलग–अलग कास्त करने लगे।

(ख)– यह कि राजाराम की मृत्यु दिनांक 14.09.1980 को हो गई तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके हिस्से की भूमियों का आपसी हिस्साबांट 06.09.1981 को मॉ फुलवसिया, निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 2, 3 के मध्य हुआ। जिसमें विवादित भूमियों में हिस्सा 1/3 निगरानीकर्ता को हिस्सा 1/3 गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 2 को तथा हिस्सा 1/3 गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 3 ता 8 को मिला तथा बैंक में जमा

(264)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 5117–II / 2017 जिला–रीवा

कृष्णजी तिवारी / पियूष्कान्त त्रिपाठी

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 170 / अ–6 / अपील / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	